# न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी कपासन
# जिला चित्तौडगढ
## पीठासीन अधिकारी राजेश सुवालका (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या/02/2017 दायर दिनांक 27.02.2017

उनवान

1. कालू पिता काना जाति गाडरी आयु वयस्क निवासी करजाली तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।

——प्रार्थीगण

बनाम

1. छोगा पिता जालम जाति कुम्हार आयु वयस्क निवासी करजाली तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
2. ऊंकार पिता मेघा जाति गाडरी आयु वयस्क निवासी करजाली तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
3. शंकर पिता ऊंकार जाति गाडरी आयु वयस्क निवासी करजाली तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
4. मांगू पिता रूपा जाति गाडरी आयु वयस्क निवासी करजाली तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
5. भैरू पिता भगा जाति गाडरी आयु वयस्क निवासी करजाली तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।

——अप्रार्थीगण

**—: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0टी0एक्ट0 :—**

**बाबत् अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा**

**निर्णय दिनांकः 06.11.2024**

सत्यमेव जयते
web copy - not official

प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 रा०टि0एक्ट के तहत इस आशय का प्रस्तुत किया कि मौजा करजाली तहसील कपासन में आराजी खसरा नम्बर 3139 रकबा 0.50 हैक्टर, 3145 रकबा 0.32 हैक्टर, 3148 रकबा 0.40 हैक्टर स्थित है जो राजस्व रेकार्ड में प्रार्थी के खातेदारी से दर्ज होकर प्रार्थी के कब्जे काश्त में है ।

यह कि उक्त आराजीयात खसरा नम्बर में अप्रार्थीगण का किसी प्रकार का कोई हक व कब्जा नहीं है फिर भी नाजायज ताकत के बल पर मुझ प्रार्थी की खातेदारी व कब्जे काश्त की जमीन में दस्तनदाजी कर आये दिन मवेशी आदि घुसा देते है एवं आराजीयात को नुकसान पहुँचाते है एवं प्रार्थी के द्वारा मना करने पर प्रार्थी के साथ लडाई झगडा करने पर आमादा रहते है। ऐसा करने का अप्रार्थीगण को किसी प्रकार का कोई अधिकार नहीं है। उक्त आराजीयात पर प्रार्थी शांतिपूर्ण ढंग से वर्षो से काबिज होकर काश्त कर रहा है एवं उपयोग उपभोग आदि कर रहा है।

यह कि दिनांक 1/2/2017 को दिन का वाका है कि मैं प्रार्थी अपने खातेदारी व कब्जे काश्त की उक्त आराजीयात की देखभाल कर रहा था कि सभी अप्रार्थीगण हम सलाह होकर आये एवम् मुझ प्रार्थी की खातेदारी व कब्जे काश्त की उपरोक्त आराजीयात में थोहरो की बाड को हटा मवेशी घुसाने लगे तो मुझ प्रार्थी ने अप्रार्थीगण का विरोध किया तो मेरे साथ लडाई झगडा करने पर आमादा हुए एवं गाली गलौच करने लग गये। इस कारण अप्रार्थीगण के खिलाफ अस्थाई निषेधाज्ञा का आदेश जारी किया जाना आवश्यक हो गया है कि वह प्रार्थना पत्र की कॉलम संख्या दो में वर्णित आराजीयात में किसी प्रकार की दस्तन्दाजी नहीं करे आराजीयात पर लगे थोहरो की बाड व फसल को नुकसान नहीं पहुॅचावे एवं आराजीयात में मवेशी आदि प्रवेश नहीं करावे।

यह कि अस्थाई निषेधाज्ञा जारी हो जाने में अप्रार्थीगण को किसी प्रकार का नुकसान नहीं होगा व अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं होने में मुझ प्रार्थी को बेशुमार नुकसान होगा जिसकी पूर्ति मूल्यों में नहीं की जा सकेगी।

यह कि मामला प्रथम दृष्टया सुविधा संतुलन व अपूरणीय क्षति मुझ प्रार्थी के पक्ष में है।

यह कि बिनाय मुखास्मत प्रार्थना पत्र दिनांक 1/2/2017 को पैदा होकर निरन्तर जारी है।

अन्त में प्रार्थना की कि–

– पक्ष प्रार्थी विरूद्ध अप्रार्थीगण अस्थाई निषेधाज्ञा का आदेश इस अमर का प्रदान किया जावे कि प्रार्थना पत्र की कॉलम संख्या दो में वर्णित प्रार्थी की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी खसरा नम्बर 3139, 3145 व 3148 में अप्रार्थीगण किसी प्रकार की दस्तन्दाजी नहीं करे, आराजीयात पर लगी थोहरो की बाड व फसल को नुकसान नहीं पहुॅचावे एवं न ही आराजीयात में मवेशी आदि प्रवेश ही करावे।

हमनें प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया। अप्रार्थी संख्या 1 से 5 की ओर से अधिवक्ता श्री रूपसिंह राणावत का अधिकार पत्र मूल वाद में प्रस्तुत। जवाब प्रस्तुत नही किये जाने से आज दिनांक को जवाब बन्द किया गया। बहस सुनी गयी। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने निवेदन किया कि उपरोक्त वर्णित आराजीयात प्रार्थी के स्वयं की खातेदारी आरीजयात है। अप्रार्थीगण उक्त आराजीयात में जबरन प्रवेश कर दखलन्दाजी करते है, अतः अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे।

हमने प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 का अवलोकन किया। दस्तावेजात नकल जमाबन्दी, प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत शपथ–पत्र का अवलोकन किया। मनन किया। पत्रावली में पूर्व में दिनांक 27.02.2017 से मौके व राजस्व रेकार्ड की यथास्थिति की अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई है, अतः पत्रावली अवलोकन से प्रथम दृष्ट्या मामला, अपूरणीय क्षति व सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में प्रतीत होने से अस्थाई निषेधाज्ञा से अप्रार्थीगण को पाबन्द किया जाना उचित प्रतीत होने से प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राज0काश्त0अधिनियम, 1955 को स्वीकार किया जाकर अस्थाई निषेधाज्ञा मूल वाद संख्या 08/2017 अनवानी कालू बनाम छोगा के निर्णय तक इस आशय की जारी की जाती है कि मौजा करजाली तहसील कपासन में आराजी खसरा नम्बर 3139 रकबा 0.50 हैक्टर, 3145 रकबा 0.32 हैक्टर, 3148 रकबा 0.40 हैक्टर स्थित है, में उभयपक्ष मौके व राजस्व रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। अस्थाई निषेधाज्ञा का निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 06.11.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(राजेश सुवालका)
सहायक कलक्टर व
उपखण्ड अधिकारी कपासन